

न्यायालयः— श्रीमती पदमा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन (म0प्र0)
क्रमांक 692 / आप. / 2023

खरगोन, दि. 02 / 05 / 2023

॥ आदेश ॥

मैं श्रीमती पदमा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को माह मई व जून—2023 में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिए अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	माह	रिमांड ड्यूटी दिनांक
1	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, जेएमएफसी खरगोन	मई	5
		जून	4, 11 (दि. 04.06.2023 को श्री राकेश भिड़े जेएमफससी भीकनगांव की रिमांड संपादित करेंगे)
2	श्रीमती अंजली पटेल जेएमएफसी खरगोन	मई	7, 28
		जून	17, 18
3	श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन	मई	14, 20, 21
		जून	25, 29
4	श्री महेन्द्र सिंह जेएमएफसी मण्डलेश्वर	मई	5, 7, 20, 21 (दि. 20 व 21.05.2023 को श्री जितेंद्र रावत जेएमफससी महेश्वर की रिमांड संपादित करेंगे)
		जून	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में एवं (दि. 04.06.2023 को श्री जितेंद्र रावत जेएमफससी महेश्वर एवं श्री विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद की रिमांड संपादित करेंगे)
5	श्री जितेंद्र रावत, जेएमएफसी महेश्वर	मई	5, 7, 14, 28 (दि. 14 व 28.05.2023 को श्री महेन्द्रसिंह जेएमफससी मण्डलेश्वर एवं दि. 28.05.2023 को श्री विवेक जैन कसरावद की रिमांड संपादित करेंगे)
		जून	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश में (दि. 04.06.2023 को छोड़कर)
6	श्री विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद	मई	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश में (दि. 28.05.2023 को छोड़कर)
		जून	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश में (दि. 04.06.2023 को छोड़कर)
7	सुश्री विकसीता मरकाम जेएमएफसी, बडवाह	मई	14, 20, 21
		जून	11, 29
8	श्रीमती आरती सिंह, जेएमएफसी, बडवाह	मई	28
		जून	4, 25
9	श्री मुकेश कुमार कौरी जेएमएफसी, बडवाह	मई	5, 7
		जून	17, 18
10	श्री सुशील गेहलोत जेएमएफसी, सनावद	मई	7, 20, 21
		जून	11, 25, 29

11	सुश्री पूर्वी तिवारी जेएमएफसी, सनावद	मर्झ	5, 14, 28
		जून	4, 17, 18
12	श्री राकेश भिडे जेएमएफसी भीकनगांव	मर्झ	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश में
		जून	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश में (दि. 04.06.2023 को छोड़कर)

नोट:-

1— जहाँ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।

2— यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो वह उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को लिखित सूचना देकर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।

3— माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो मुख्यालय पर उसकी निरन्तरता वाली तिथि से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।

4— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त अधिकारी के स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे। मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने अथवा पदभार ग्रहण न करने की दशा में रिमांड ड्यूटी उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट संपादित करेंगे।

5— यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निधारित तिथियों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित की जाती है तो संबंधित अधिकारिता में रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारू रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी के निष्पादन में आवश्यक सहयोग किया जावेगा।

6— यदि रिमांड ड्यूटी के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी या फरारी वारंटी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जाये तो संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेज सकते हैं।

(पदमा राजौरे तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.)
खरगोन, दिनांक 02 / 05 / 2023

पृष्ठाकंन क्रमांक 693 / आप. / 2023

प्रतिलिपि:-

- 1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— श्रीमान् कलेक्टर, खरगोन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, खरगोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि रिमांड ड्यूटी आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4— श्री..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी खरगोन / भीकनगांव / सनावद / बडवाह / मण्डलेश्वर / महेश्वर / कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5— जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6— अध्यक्ष अभिषाषक संघ, खरगोन / भीकनगांव / सनावद / बडवाह / मण्डलेश्वर, महेश्वर / कसरावद की ओर सूचना पटल पर चर्चा करने हेतु प्रेषित।

(पदमा राजौरे तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.)